भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
निगम कार्यालय
भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
(पीएटी अनुभाग)

101

सं.15-8/2006- पीएटी(बीएसएनएल) दिनांक 08 मई, 2008

सेवा में,

सभी दूरसंचार परिमंडल प्रमुख ।
सभी अन्य प्रशासनिक इकाइयों के प्रमुख ।

विषय:- **एग्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों को अनुलब्धियों(पर्क्स) के अनुदान संबंधित स्पष्टीकरण ।**

संदर्भ: इस कार्यालय के दिनांक 23-08-2006 का समसंख्यक आदेश एवं दिनांक 5-12-2007 का स्पष्टीकरण ।

महोदय,

कई इकाइयों ने छुट्टी के दौरान फर्निशिंग भत्ते के अनुदान और आहार भत्ता और प्रोफेशनल अपग्रेडेशन भत्ते की अनुमति से संबंधित स्पष्टीकरण माँगा है। ईएफ शाखा के परामर्श से उपरोक्त शंकाओं की जांच की गई है और इन शंकाओं के उत्तर नीचे दिए गए हैं :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	यदि अनुलब्धि आदेश के जारी से पहले स्थानांतरण हुए हैं, तो क्या जिन स्थानांतरित एग्ज़ीक्यूटिव ने कार्यभार ग्रहण अवधि के साथ अर्हक छुट्टी लेने के बाद कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें फर्निशिंग भत्ते की अनुमति है?	1-1-2005 के बाद हुए सभी स्थानांतरण मामलों में, फर्निशिंग भत्ता केवल उन्हीं अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा जो कार्यभार अवधि के समय छुट्टी लिए बिना ही निर्धारित कार्यभार ग्रहण अवधि के भीतर ही कार्यभार ग्रहण करते हैं।
2.	महीने के बीच से आरंभ होकर अगले महीने के बीच में समाप्त होने वाली 30 दिनों से अधिक छुट्टी के लिए क्या आहार भत्ते एवं प्रोफेशनल अपग्रेडेशन भत्ते की अनुमति दी जाती है?	चूंकि आहार भत्ता और प्रोफेशनल अपग्रेडेशन भत्ता अनुलब्धियों का ही हिस्सा है, छुट्टी, प्रशिक्षण इत्यादि की स्थिति में, उनका निर्धारण भी यात्रा भत्ते के समतुल्य ही किया जाता है।

आपका
(हस्ताक्षर)
(शिव शंकर प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी (पीएटी)
फोन : 23037474

प्रति:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के प्रधान निजी सचिव ।
2. बीएसएनएल बोर्ड निदेशकों के प्रधान निजी सचिव ।
3. सभी वरिष्ठ उपमहानिदेशक /उपमहानिदेशक, बीएसएनएल, निगम कार्यालय, नई दिल्ली ।
4. सभी मुख्य महाप्रबंधक, आईटी, बीएसएनएल ,पुणे ।
5. निदेशक (एसयू), दूरसंचार विभाग , संचार भवन, नई दिल्ली ।
6. सहायक महानिदेशक (आर एंड पी)/एसआर/ईएफ/सीए बीएसएनएल, निगम कार्यालय।
7. अनुभाग अधिकारी वेतन बिल/रोकड़/ऋण एवं अग्रिम/प्रशासन, बीएसएनएल, निगम कार्यालय ।
8. मान्यता प्राप्त कार्यपालक संगठन , बीएसएनएल।
9. आदेश बंडल ।

जारी करें ... 08/5/08